न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण संख्या 44/2025

ग्यारसा व अन्य बनाम रामजीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री छोटेलाल सैनी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाहा उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र उनवानी रामजीलाल वगैरा बनाम राज. सरकार अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट प्रकरण संख्या 35/2025 ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा नजदीक–नजदीक तारीख पेशीयां दी जा रही है। उक्त प्रकरण जवाब अप्रार्थीगण हेतु चल रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 द्वारा एलानिया कहां जा रहा है कि उनकी पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत से पटरी बैठ गई है और उक्त प्रार्थना पत्र का जल्द ही फैसला उनके हक में होने वाला है, इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है। पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं रही है। अतः प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण रामजीलाल गुर्जर निवासी रलावता तहसील बांदीकुई व अन्य द्वारा उनके खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर सीमाओं पर पत्थरगढी करने के लिये न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 6, 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आयें। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है तथा पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7 नियत की गई है। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेंश नहीं किया गया है। बल्कि प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने एवं प्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की नीयत से पीठासीन अधिकारी पर मिथ्या आरोप लगाकर यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य, सबूत भी पेश नहीं किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे। उप जिला कलक्टर बांदीकुई से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकितानुसार प्रकरण दर्ज होने पर अप्रार्थीगण की तलबी की जाकर प्रकरण में दिनांक 28.04.2015, 05.05.2025, 09.05.2025, 15.05.2025, 20.05.2025, 21.05.2025, 27.05.2025, 02.06.2025, 13.06.2025 नियत की गई। प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायलय में विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण के जवाब हेतु नियत है। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है। प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया जाना प्रतीत होता है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपो के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य, सबूत पेश नहीं किये गये है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाकर प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रामस्वरूप चौहान) अति. जिला कलक्टर,दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:36:24 IST
Reason: Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official